श्री कश्यप राजपूत सभा ज़िला बिजनौर

एवम् यू० पी० सभा की बैठकों आदि का

संक्षिप्त विवरण

लेखक व प्रकाशक :—

ठा० हरिदेवसिंह सिकरवार वैद्य

प्रधान मन्त्री ।

इसे सावधानी से रखें और दूसरों को पढ़ने को दें। —कुशल

ॐ ओ३म् तत्सत् ॐ

श्री कश्यप राजपूत सभा ज़िला बिजनौर की अन्तरंग कमेटी की बैठक, १० वें वार्षिकोत्सव एवम् यू० पी० सभा की अंतरंग बैठक इत्यादि का

संक्षिप्त विवरण

ज़िला कश्यप राजपूत सभा का यह वार्षिकोत्सव ता० १६, १७, १८ जून सन् १९४४ ई० को नजीबाबादमें ३-४ हज़ार मनुष्योंकी उपस्थितिमें जाति दिवाकर श्री ठा० दुर्गादत्त सिंह जो कुशल बिजनौरी हाल नूरपुर (ज़िला बिजनौर) के सभापतित्व में बड़े समारोह से मनाया गया था। इसी उत्सव पर यू० पी० सभा के प्रधान जाति-शिरोमणी श्री ठाकुर बिहारी लाल जी बड़गूजर साधन (मेरठ) के नेतृत्व में यू० पी० सभा की अन्तरंग बैठक भी ता० १८ जून को सफलता के साथ सम्पन्न हुई थी।

लेखक व प्रकाशक :—

ग्राम सभाचन्दपुर ज़िला बिजनौर निवासी

जाति सेवक ठा० हरिदेव सिंह सिकरवार वैद्य

प्रधान मंत्री ज़िला कश्यप राजपूत सभा,

नगीना ज़िला बिजनौर यू० पी०।

मुद्रकः—"चैतन्य" प्रैस, बिजनौर।

सभा के उद्देश्य

१. जाति के अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाय।

२. जाति के पढ़े लिखे सपूतों को अपनी संख्या के अनुपात से मुलाज़मतें दिलाने आदि निमित्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक मेम्बर अपना चुनकर भेजना जबकि हम बहुत संख्या में कृषक हैं।

३. छोटे २ पेशों में न उलझे रहकर बड़ी तिजारतों तक पहुंचना।

४. जाति में जो कुछ दूषित वातावरण हो उसे दूर करना।

५. जाति को स्त्री समाज को गृहस्वावलम्बी और क्षत्रियोचित आदर्शवान बनाना।

६. अपने को सच्चरित्र और शुद्ध बना कर जाति में प्रेम और संगठन उत्पन्न करना।

७. अपने उज्ज्वल क्षत्रित्व गौरव को पुनः प्राप्त करना।

८. जाति के मामलात निपटाने में न्याय को ही सन्मुख रखना।

९. समस्त हिन्दु जातिके साथ प्रेम भाव रखना और बर्तना।

१०. कर्म के सिवाय, मनुष्य मात्र की आत्माओं की तुलना में अपनी आत्म-शक्ति को किसी प्रकार किसी से कम न आंकना व मनुष्यमात्र के साथ एक आत्मभाव रखना और बर्तना।

११. जाति के अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिये समुचित प्रबन्ध और सहायता करना।

कश्यप राजपूतों का वंश-वृत्त क्या है ?

वैदिक कालीन आर्य (हिन्दू) जाति की वर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत कर्म पर आश्रित थी, जन्म जातिगत नहीं, परन्तु आज की वर्ण व्यवस्था पौराणिक इतिहास वर्णित जन्म जाति के आधारित है, जिसमें कश्यप ऋषि की सन्तति सूर्य और चंद्र दो राजकुलों की उत्पत्ति हुई। राजा सूर्य से सूर्य वंश और राजा चंद्र से चंद्र वंश चला। आगे चलकर इन्हीं दो राजकुलों में से शाखायें फूट कर ३६ राजकुलों की उत्पत्ति हुई। आज यही ३६ राजकुल शाख दर शाख होकर लगभग एक हज़ार वंशों में विभक्त हैं, जो सभी राजपूत कही जाने वाली जातियों में ३६ राजकुल व शाखाऐं वंश रूप में पाई जातीं हैं। वही ३६ राजवंश और शाखाऐं हमारी "कश्यप राजपूत" जाति में मौजूद हैं। चूँकि महर्षि कश्यप सभी राजवंशों के मूल हैं और हमारी जाति में सभी राजकुल सम्मिलित हैं-इसी से हमारी जाति का "कश्यप राजपूत" नाम सर्व राजवंशों की सम्मिलिति का प्रतीक होने में कारण है। अधिक हाल जानने के लिये स्वजातीय इतिहासकार स्वजाति शिरोमणि ठा० दुर्गादत्त सिंह जी कुशन बिजनौरी कृत 'क्षत्रियोदय' को देखिये जो दो भागों में लिखा और संग्रह किया गया है। उसमें यह देखकर आप आश्चर्य चकित होंगे कि हमारा भूतकाल कितना उज्ज्वल था। उसमें वर्णित,

आप में सम्मिलित महर राजवंश ने बहुत पीढ़ियों के लम्बे समय तक राज्य किया है और उसी वंश के नाम पर आपका जाति रूप से धारण किया हुआ नाम अबतक चलता आया। जैसे चौहानवंशी महाराजा पृथ्वीराजके सहयोगी व सम्मिलित सभी अन्यान्य राजवंशों ने चौहान वंश को ही अपनी जाति रूप दिया और आज भी उसी संगठित चौहान नाम में चले आ रहे हैं तथा जित-राजवंश के नाम में सम्मिलित व संगठित उस समय के सभी सहयोगी राजवंश "जाट" जाति के नाम से प्रसिद्ध हुए और आजतक उसी नाम में चले आ रहे हैं, वैसा ही रूप और संगठन महर वंश के राज्य काल में उसके सहयोगी सभी राजवंशों ने अपने राजा के वंश को जाति नाम दे बना लिया हुआ था, जो हमारी अति गिरावट के साथ भी अबतक चलता आया। परन्तु अब वह महर-राजवंश रूप जाति का उज्ज्वल नाम न रह कर पेशे के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा।

जातियां किसी एक वंश के नाम पर बनती हैं परंतु उसमें उस वंश के सहयोगी भिन्न २ वंश सम्मिलित रहते हैं। कश्यप राजपूत वंश-वृक्ष का भी यही रहस्य है।

जाति भास्कर आदि ग्रन्थों में भिन्न २ हिन्दु वंशों की उत्पत्ति भिन्न २ प्रकार से दिखाई गई है। वह उत्पत्ति यदि सही भी हो तो वह किसी एक वंश की ही हो सकती है, जाति की नहीं। क्योंकि जाति में सैकड़ों वंश मिले

रहते हैं। ऐसी कथाओं अथवा दन्त कथाओं पर कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण यदि किसी वंश की उत्पत्ति वर्ण शंकरता से ही हुई हो तो भी जो सैकड़ों उत्तमोत्तम अन्यान्य वंश उसमें मिले हैं उन सबकी उत्पत्ति को वर्ण शंकर वंश की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता, न उस वंश की उत्पत्ति को जाति की उत्पत्ति ही कहा जा सकता है। कालू संबंधी कथायें भी कल्पित हैं। ऐसी कथाओं ने ही हिन्दु जाति को खण्ड-खण्ड और अपमानित किया है।

मण्डल (सर्किल)

ज़िला सभा को जन्म लिये २१ वर्ष बीत गये। हमारे चौधरी साहिबान जलसों में शरीक होते रहे, प्रस्ताव पास करते रहे, परंतु प्रस्तावों को अमली रूप देना, इच्छा से या अनिच्छा से, स्वार्थ से या समझ के सीमित दायरे से, जैसे भी हो, उनकी शक्ति से बाहर रहा है। फिर ज़िले की २२ हज़ार स्वजाति जनता को केवल १४ चौधरी प्रबन्ध में रखने के लिये पर्याप्त भी नहीं थे। जो कुछ सुधार इस २१ वर्ष में होसका है वह पांच सात सज्जन चौधरी साहिबान और जनताके सहयोग से ही हो पाया है। अब मण्डलों (सर्किलों) द्वारा प्रत्येक सर्किल में लगभग १८--१८ प्रबन्धकर्त्ता होंगे और लगभग १००-१२५ सर्किलें बनेंगी। इसप्रकार लगभग २५०० आदमी २२००० के प्रबन्धकर्त्ता होंगे। यह २५०० सभा के

आजीवन मेम्बर होने से सभा को २५००) वार्षिक आय भी होगी। उपरोक्त सुधार तब करना पड़ा जबकि हमारे चौधरी साहिबान अपने दूषित रवइयों को बदलने या छोड़ने में टस से मस नहीं हुए और सभा को हानि पहुंचाने के लिये उत्सव नजीबाबाद के अवसर पर उस समय के कहे जाने वाले चौधरी सिल्लूसिंह नजीबाबाद व लल्लूसिंह नेकपुर ने अपने आधीन लगभग १०० ग्रामों की जनता में यह प्रचार कर दिया कि सभा उत्सव के लिये कोई भाई अन्न, लकड़ी, रुपया आदि कोई सामान न दे। चौधरी सिल्लूसिंह के जातिघातक विरोध ने ज़िला सभा के कार्यकर्त्ताओं के विचार में यह बात पैदा कर दी कि इस चौधरी सिस्टम के सहारे सभा शत वर्ष में भी जाति को उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकेगी। तथा सिल्लूसिंह जैसा अयोग्य व्यक्ति १०० ग्रामों का नेता बनकर जाति के भारी अपमान का कारण है। जबकि उन ग्रामों में बड़े योग्य और धनी मानी भाई मौजूद हैं तो वही लोग क्यों न अपना प्रबन्ध स्वयं करें?

चार मास के अन्दर ही जबकि अभी लगभग ६० सर्किलें ही बन पाई हैं उन सर्किलों के सुप्रबन्ध और जनता जागृति ने मांस भक्षण, विवाहों में कन्या या विधवा पक्ष द्वारा विवाह खर्च के नाम पर रुपयों का लिया जाना और ४५ वर्ष तक की स्त्रियों का मज़दूरी करने के लिये घर २ जाना आदि बुरी रस्मों को रोक थाम करके दिखा दिया है कि जाति उन्नति

पथ पर शीघ्र अग्रसर होगी । इसके लिये सर्किल प्रबन्धकर्ताओं और सहयोगी जनता का सभा अनेक धन्यवाद करती है।

धन्यवाद

श्रीयुत ठा० दुर्गादत्तसिंह जी कुशान नूरपुर (बिजनौरी) प्रधान ज़िला सभा ने सख़्त गर्मी और आंखें दुखने की हालत में भी ६ दिन में ६६ मील का दौरा किया जिसमें ५२ मील पैदल भी चले; यह कष्टदायक परिश्रम आपने उत्सव को सफल बनाने के लिये ही किया; हम सब उनका जितना भी आभार मानें, थोड़ा है।

ठा० परमासिंह केतवान धनसीनो, ठा० जौहरीसिंह जगदे प्रमार गाजीपुर, चौ० चन्द्रासिंह खपरानिया स्वागताध्यक्ष नजीबाबाद, ठा० फक़ीरचंद स्वागत मंत्री, ठा० लल्लूसिंह खपरानिया भण्डारी नजीबाबाद, ठा० छज्जू सिंह व ठा० मक्खन सिंह लोमोड़ जाप्तागंज नजीबाबाद, इत्यादि सज्जनों ने उत्सव को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया है; धन्यवाद । ठा० सिल्लूसिंह नजीबाबाद का ग्रामों में सभा को रसद न देने का प्रचार होते हुए भी ठा० परमा सिंह व ठा० जौहरीसिंह ने दो मास तक अपना घर त्याग कर रसद प्राप्ति की; धन्यवाद । ठा० जोरावरसिंह जी केतवान तथा अन्य सब भाई मड़का खुशहालपुर की रसद-सहायता सराहनीय है; सभा भूल नहीं सकती। ठा० बिहारी सिंह जी आलोपुर, ठा० बन्सीसिंह प्रतापपुर, ठा० फुल्लूसिंह

माननगर, ठा० हीरासिंह भोनावाला इत्यादि सज्जनों को भी रसद-सहायतार्थ धन्यवाद। ठा० हरदयाल सिंह जैसवाल मोहनपुर ने एक गाड़ी लकड़ी और नक़द दोनों प्रकार सहायता की। ठा० हरदयालसिंह मौज़मपुरने ४५) व ठा० गणेश सिंह बढ़ापुरने ६६) नक़द चन्दे से तथा उनके सेवा दलने भारी सेवा की। ठा० हरिसिंह केतवान नजीबाबाद ने सराहनीय सेवा की। ठा० चन्दनसिंह खिरनी, ठा० हरकेशसिंह झएड्डू सिंह रायपुर, ठा० रामप्रसाद फुल्लूसिंह शेरकोट, हल्दौरी भाई, ठा० सरजोतसिंह बरूकी, ठा० केवलसिंह गिलाड़ा, ठा० बुद्धसिंह छाछरान रावली, ठा० घिस्मनसिंह धारूवाला मंडावली, ठा० गुलाबसिंह दारानगर आदि भाइयों का विशेष धन्यवाद करती है कि मोटी २ रक़म चन्दा कर सभा की भारी सहायता की। ठा० रूड़ासिंह रैंजर बहादरपुरजट (सहारनपुर) का भी धन्यवाद है कि जिन्होंने सदा की भांति इस उत्सव पर भी १०) भेज दिये। धनौरा (नजीबाबाद) के भाइयों ने अनाज के स्थान में ८) दिये व ठा० छज्जूसिंह छितावरिया जाफ़्रेगंज से २७॥।=) चन्दे से प्राप्त सहायता पहुंची। अन्यान्य सहायकों का यहां उल्लेख किया जाना स्थानाभाव से असंभव हैं। उन सब सज्जनों का नाम आय की फ़ेहरिस्तमें दिया गया है। सभा उन सभी सहायता दाताओं का भी धन्यवाद करती है। सभा ठा० मंगूसिंह जी तोमर नहटौर का विशेष धन्यवाद करती है जिन्होंने सभा कार्यालय को हिसाबादि ठीक करने व अन्य

लिखा पढ़ी से बहुत सहायता पहुंचाई। आप जातिके सच्चे हितु और योग्य सेवक हैं। श्री ख़ज़ान्ची जी बढ़ापुर व मुन्शी रतन-सिंह शादीपुर ने भी सभाहित में विशेष सहयोग दिया; धन्यवाद।

चौधरी सिस्टम समाप्त

प्रधान मंत्री ज़िला सभा का निम्न प्रस्ताव, जो प्रधान जी ज़िला सभा द्वारा अंतरंग के सन्मुख रक्खा गया, सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ :—

शहर और बड़े क़स्बों को ग्रामों से अलग किया जाय और सब जगह मण्डल (सर्किलें) बनाये जायं जो निम्न योजना पर आधारित हों : -

सर्किल योजना

१ — समस्त ज़िला बिजनौर में १०-१० ग्रामों का एक एक मण्डल (सर्किल) होगा और शहर व बड़े कस्बे स्वतः एक-एक मण्डल होंगे, जिनका सीधा सम्बन्ध ज़िला सभा के कार्यालय से होगा।

२—प्रत्येक सर्किल में १ प्रधान १ उपप्रधान १ मंत्री १ ख़ज़ान्ची ४ पंच १० मेम्बर ५ वालंटियर होंगे। ये सभी पदाधिकारी सभा के आजीवन मेम्बर होंगे, जो १)-१) वार्षिक सर्किल को पेशगी अदा करते रहेंगे और पदाधिकार छूट जाने पर भी आजीवन मेम्बर बने रहेंगे। वालंटियर आजीवन मेम्बर नहीं होंगे न आजीवन मेम्बरी का चन्दा देंगे।

३—साधारण मामले को प्रधान, उपप्रधान, ख़ज़ान्ची, मंत्री और चार पंच मिल कर तै करेंगे। आठ में से ६ की उपस्थिति होने पर कार्य शुरू होगा। प्रधान जी की २ राय होंगी; फ़ैसला बहु सम्मति का माननीय होगा। किसी भारी मामले को फैसल करने में १० मेम्बरान और ५ स्वयं सेवक दल के सदस्यों को भी शरीक किया जायगा।

४—प्रत्येक सर्किल, सभा के नियमों का पालन करते हुए, अपनी सर्किल (हल्के) की स्वतंत्र प्रबन्धकर्ता और ज़िम्मेदार होगी, जिसके किये न्यायपूर्ण फैसले सर्व मान्य होंगे। वादी प्रतिवादी को सभा में अपील करने का अधिकार होगा।

५—किसी भी मामले का अपील ज़िला सभा के बोर्ड में हो सकेगा, जिसकी दरख़्वास्त ज़िला सभा के मंत्री को दी जायगी। अपील तै करने में जो भी प्रारंभिक ख़र्च होगा वह अपील करने वाले को सहन करना होगा जो, अपील सही प्रमाणित होने पर, दूसरे फ़रीक़ के ज़िम्मे भी डाला जासकेगा।

नोट—सर्किलें उन्हीं मामलात को तै करेंगी जो सभा से पास हो चुके होंगे और उन्हीं पर दण्डादि व्यवस्था करेंगी या ऐसे नये पैदा होने वाले मामलात फ़ैसल करेंगी जो ज़िले के २२ हज़ार भाइयों के नफ़े नुकसान इज़्ज़त और बात पर असर डालते हों। जिन मामलात का सारी जाति से कुछ संबंध न होगा या जायदाद, काश्त या अन्य किसी भी ऐसे व्यक्तिगत मामले में, जिस का संबन्ध सरकारी फैसलों और कानूनों से होगा, सर्किलें हाथ नहीं डालेंगी, न सर्किल का पैसा व्यय करेंगी। जो भाई अपने किसी द्वेष भाव से किसी भाई को सर्किल या अदालत द्वारा व्यर्थ दण्ड दिलवाने की चेष्टा करेगा वह अपनी सर्किल और ज़िला सभा से दण्ड का भागी होगा।

६—किसी सर्किल का कोई दोषी किसी दूसरा सर्किल या रिश्तेदारों से किसी प्रकार की सहायता या आश्रय नहीं पा सकेगा। न कोई सर्किल या रिश्तेदार दोषी को किसी प्रकार की सहायता या आश्रय देंगे।

७—प्रत्येक बालिग़ भाई १) वार्षिक अपनी सर्किल को अदा करेगा। पुत्र-जन्म व पुत्र-विवाह पर १)-१) देंगे। असहाय वृद्ध जो कमा नहीं सकते इस नियम से मुक्त होंगे। सभी पदाधिकारी भाई आजीवन मेम्बरी के अलावा इस नियम का १) वार्षिक पृथक देंगे। सावड़ी का अनाज बेच कर प्राप्त द्रव्य फ़ण्ड में जमा कर दिया जायगा। कुल रुपये की प्राप्ति किसी भी भाई से ज़िला सभा की छपी रसीद द्वारा होगी। एक ग्राम से प्राप्त कुल चन्दे की एक ही रसीद काटी जायगी।

८—प्रत्येक सर्किल में १००) रिज़र्व फ़ण्ड ख़ज़ाञ्ची के पास जमा रहेगा। इसके उपरान्त जो आय होती रहेगी चाहे वह नियम नं० ६ अनुसार हो, अथवा दण्डादि से हो, उस कुल आय का २०) प्रतिशत अपने सर्किल सुधार पर स्वतन्त्रता से प्रत्येक सर्किल व्यय करेगी और ८० प्रतिशत ज़िला सभा के रिज़र्व फ़ण्ड में देती रहेगी। जब कभी ज़िला सभा को, कोई ज़मीन ख़रीदने, दस्तकारी का कोई स्कूल खोलने अथवा ज़िला बिरादरी की बेहतरी के लिये कोई ठोस काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तब ज़िला सभा, ज़िला सभा के रिज़र्व फ़ण्ड और सर्किलों के रिज़र्व फ़ण्ड को काम में ला सकेगी।

९—जाति की मान मर्यादा पर अकस्मात किसी प्रकार का संकट उपस्थित होने पर सर्किल स्वयं और आस-पास की सर्किलें सहायतार्थ तन, मन, धन से तैयार रहेंगी। सर्किलें अपने २ रिज़र्व फण्ड को व्यय करेंगी और आवश्यकता पर ज़िला सभा के बोर्ड और फ़ण्ड से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगी। रिज़र्व फण्ड की पुनः पूर्ति बाद में करलेंगी।

१०—प्रत्येक सर्किल अपनी सर्किल का वार्षिक जलसा मनायेगी। पदाधिकारियों का नया चुनाव करेगी। दूसरी सर्किलों की जनता को नहीं बुलायगी। यदि बुलाना ही हो तो प्रधान या मन्त्री ही बुलाये जायेंगे। सालाना जलसे का खर्चा अपनी सर्किल से ही जमा करके खर्च होगा। रिज़र्व फण्ड व २०) प्रति शत की आय में से नहीं किया जायगा। सर्किल के सालाना जलसेकी सूचना १ मास पूर्व ज़िला मंत्री को भी दी जायगी। हर तिमाही में सर्किल अपनी कमेटी बुलाती रहेगी, जिसमें मामलात तै करना और जाति सुधार पर बात चीत करना हुआ करेगा। यह कमैटी ४—५ घण्टे के लिये दोपहर में जमा हुआ करेगी, रात में नहीं ठहरेगी। यदि कोई विशेष फैसला दिन दिन में नहीं हो पायगा, तब रात में ठहरेगी। आवश्यकता पर कमैटी स्पेशल भी बुलाई जा सकती है।

११—पंच-सर्किल-उत्सव—ज़िला सभा का वार्षिक जलसा जिस सर्किल में हुआ करेगा, उस सर्किल की चारों ओर की पड़ोसी सर्किलें खर्च इत्यादि हर काम में बराबर

का भाग लेंगी। जो सर्किल ज़िला सभा का जलसा अपने यहाँ कराना चाहेगी, वह अपने पड़ोसी चारों सर्किलों की रज़ामन्दी यानी प्रधानों के दस्तख़त या निशान अँगूठे लेकर ३ मास पहिले ज़िला सभा के मंत्री को लिखित सूचना देगी। यदि कोई एक सर्किल ही उपरोक्त भार सहन करने के लिये उद्यत होगी तो सभा उसे सहर्ष स्वीकार करेगी। खान पीन के अतिरिक्त जो व्यय होगा उसे ज़िला सभा सहन करेगी। उत्सव निमित्त जो आय रसद व नक़द में शेष होगी वह सब ज़िला सभा की होगी।

१२—यदि कोई भाई किसी भाई की बीमारी या बच्चे के जन्म संस्कार, विवाह अथवा मृत्यु आदि में सम्मिलित न होगा या न होंगे तो उसको या उनको अपनी सर्किल में उचित दंड दिया जा सकेगा।

१३—सर्किलों की जाँच के लिये ज़िला सभा आवश्यक्तानुसार संख्या में निरीक्षक प्रतिवर्ष नियत किया करेगी। इस प्रथम वर्ष के लिये—१. ठा० मुकन्दोसिंह तेलयान नांगल जट, २. ठा० नत्थू सिंह हमीदपुर, ३. वीर रेवतीसिंह धानधार चौकपुरी, ४. ठा० मंगूसिंह तवर धनौरी, ५. वीर रतन सिंह तवर शादीपुर, ६. वीर तिर्मल सिंह तवर स्माईलपुर, ७. वीर हरनाम सिंह छाछरान बसी, ८. वीर फ़क़ीर चन्द कँवर काकरान नजीबाबाद, ६ ठा० मुकन्दो सिंह जैसवाल मोमनपुर दरगा-भरेरा, ज़िले बिजनौर की समस्त सर्किलों की

कार्यशैली की जांच किया करेंगे और मन्त्री सभा को उसकी रिपोर्ट दिया करेंगे।

१४—यदि कोई सर्किल ज़िला सभा के किसी पदाधिकारी को या ज़िले से बाहर के किसी नेता को बुलायगी तो उस के दोनों ओर के मार्ग व्यय की देनदार बुलाने वाली सर्किल ही रहेगी।

१५—प्रत्येक सर्किल, सभा नियमों के पालन करने में, ज़िला सभा के प्रति उत्तरदाई होगी और ज़िला सभा प्रत्येक सर्किल को रक्षा के लिये सर्किलों के प्रति उत्तरदाई व ज़िम्मेदार होगी।

१६—पुराने तरीक़े से कोई चिट्ठी किसी मामले को नहीं काटी जायेगी। किसी भी मामले के लिये अपने चारों ओर के प्रधान सर्किलोंको और दोषी के रिश्तेदारों को दोषी से सम्बन्ध न रखने की सूचना देदी जायगी। मंत्री ज़िला सभा को भी इसकी सूचना कार्ड द्वारा देदी जायगी।

१७—जो भाई मुकर्रिर किया हुआ चंदा न दे उसे सर्किल तब तक के लिये ख़ारिज कर सकेगी जब तक वह पिछला कुल चन्दा अदा न कर दे।

सर्किल कार्यकर्ताओं के कर्तव्य

१. प्रधान—अपनी सर्किल के सर्वोपरि मालिक की हैसियत से सब मामलात पर निगाह रखना, ताकि कोई भाई

नियम विरुद्ध न चलने पाये। यदि चले तो तुरंत कमैटी बुलाकर न्याय करना और अपने आपको सर्किल का सब से बड़ा सेवक भी समझना। यही कर्तव्य उपप्रधान का भी है।

२. मंत्री—सर्किल सुधार में प्रधान जी को हर प्रकार का सहयोग और राय देना तथा सब मामलात व सर्किल कमैटी की कार्रवाइयों को रजिस्टरों में लिखना, ख़ज़ाञ्ची और प्रधान जी के साथ मिल कर चन्दा वसूली करना, रसीद काट कर देना, इत्यादि।

३. ख़ज़ाञ्ची—सर्किल के हरेक काम में सहयोग, चन्दा वसूली करना, सर्किल के रुपये को निजी कामों में न लगाना, ज्यों का त्यों जमा रखना, जिस वक्त भी सर्किल मांगे तुरंत दे देना, इत्यादि।

४. पंच—सर्किल सुधार के हरेक काम में सहयोग देना और किसी भी मामले में अन्याय न होने देना पंचों के सब से बड़े कर्तव्य हैं।

५. स्वयंसेवक दल—सर्किल के हरेक काम में सहयोग देना, जिन मामलात में सर्किल राय मांगे, न्याय पक्ष में राय देना। जलसा या कमैटी सर्किल के वक्त पर डियूटी देना। हर प्रकार से जाति सेवा करना, किसी सेवा को अपने लिये अपमानित, घृणित या छोटी न समझना। सेवा करना ऊंचे दर्जे की चीज़ है इसलिये अपने भावों को उदार रखना।

६. मेम्बरान—इन का यह ख़ास कार्य होगा कि

जो भी पदाधिकारी अपने कार्य में उदासीनता दिखावें या सभा के नियमों के विरुद्ध चलते हुए हठधर्मी दिखावें तो इन को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपने बहु-सम्मति-निर्णय द्वारा उन्हें उस पद से तुरंत हटा दें और किसी दूसरे को उस पद पर नियुक्त कर दें। सर्किल के अन्य कार्यों में भी सहयोग देते रहें और स्वयं सभा के नियमों का पालन दृढ़ता से करें।

अन्तरंग सदस्य

१. ठा० दुर्गादत्तसिंह कुशान नूरपुर (बिजनौर) २. वीर रतनसिंह तंवर शादीपुर (किरतपुर) ३. वीर रेवतीसिंह धानियार चौंकपुरी (झालू) ४. मुकन्दीसिंह नांगल जट (हल्दौर) ५. मंगूसिंह तोमर नहटौर ६. वीर तिमलसिंह तंवर स्माईलपुर (चांदपुर) ७. कन्हैयासिंह छाछरान बसी (किरतपुर) ८. वीर हरनामसिंह बसी (किरतपुर) ९. वीर फ़क़ीरचंद कँवर काकरान (नजीबाबाद) १०. मुकन्दीसिंह जैसवाल मोमनपुर दर्गा–भरैरा (बिजनौर) ११. नत्थूसिंह आर० डी० ओ० हमीदपुर (बिजनौर) १२. रघुनाथसिंह तंवर रामोरूपपुर (रतनगढ़) १३. गेन्दासिंह निजामपुर (झालू) १४. मिसरीसिंह निजामपुर (झालू) १५. सुक्खनसिंह अब्दीपुर (हरगनपुर) १६. बल्देवसिंह लोमोड़ (बढ़ापुर) १७. हरदयालसिंह मौजमपुर (मौहम्मदपुर देवमल) १८. जोरावरसिंह केतवान

मड़का (नजीबाबाद) १९. भगवत प्रसाद ड्राईवर इन्दौर २०. बाबूरामसिंह जैसवाल, मोमनपुर दर्गा (बिजनौर) २१. घसीटासिंह खपरानिया झिलमिला २२. रामप्रसाद सिंह या फुल्लूसिंह शेरकोट २३. हरनामसिंह इन्दौर २४. चन्द्रासिंह खपरानिया नजीबाबाद २५. परमासिंह केतवान धनसीनी (जलालाबाद) २६. धर्मासिंह केतवान धनसीनी २७. घसीटासिंह मंडावर २८. सुक्खनसिंह मंडावर २९. गनेशसिंह बढ़ापुर ३०. हरदयालसिंह जैसवाल मोहनपुर (नांगल) ३१. रूढ़ेसिंह छितावर (किरतपुर) ३२. छज्जूसिंह छितावरिया जाफ्तेगंज नजीबाबाद ३३. हरबंससिंह बसो किरतपुर ३४. मोहनसिंह अलीपुरा (नजीबाबाद) ३५. बसन्तसिंह बकली (बिजनौर) ३६. हरबंसलाल जलालपुर सुलतान (किरतपुर) ३७. चन्दनसिंह खिरनी (बालावाली) ३८. सुक्खनसिंह छितावर ३९. ठकरासिंह रायपुर (चन्दक) ४० गुलाबसिंह दारानगर गंज ४१. छोटेसिंह शफीहाबाद (नांगल शुक्रा) ४२. नेतरामसिंह शादीपुर (किरतपुर) ४३. नत्थूसिंह रावली (मोहम्मदपुर देवमल) ४४. बलवन्तसिंह काकरान शाहपुर सुक्खा (किरतपुर) ४५. कुन्दनसिंह गाहड़वाल बिजनौर ४६. बुद्धुसिंह रावली (बिजनौर) ४७. हरिदेव सिंह सिकरवार वैद्य नगीना ४८. उमरावसिंह खपरानिया राजोपुर (अकबराबाद)।

आजीवन मेम्बरान

१. गोविंदसिंह बागपत कल्ढवाडा शहज़ादपुर २. इन्द्रसिंह तंवर बढ़ापुर ३. सुक्खनसिंह रांढौवाला ४. नत्थूसिंह धानियार मोहनपुर ५. सकट्टूसिंह केतवान नगंदी निवादा ६. भंगवानदास क्षत्रियान हरेवली शहजादपुर ७. उमरावसिंह धानियार भौनावाला ८. सुखरामसिंह केतवान मड़का ९. हरदयालसिंह जैसवाल मोहनपुर १०. जौहरीसिंह जगदे प्रमार गाजोपुर ११. किशनसिंह तंवर भौनावाला १२. भगवतसिंह बाखियान छितावर १३. कढेरासिंह बाखियान छितावर १४. लल्लूसिंह काकरान कल्हेड़ी १५. नन्हेंसिंह तंवर मंडावली १६. धर्मासिंह केतवान धनसीनी १७. कृपालसिंह बाखियान छितावर १८. शंकरसिंह बाखियान छितावर १९. गंगूसिंह प्रमार छितावर २०. सुक्खनसिंह तंवर मानपुर २१. बुद्धुसिंह लोमोड़ मोहनपुर २२. मक्खनसिंह लोमोड़ ज़ाप्तागंज २३. मग्नसिंह बालियान गांवड़ी (नजीबाबाद) २४. मिसरीसिंह बालियान निज़ामपुर (झालू) २५. मूलचन्द सिकरवार महेसरी जट २६. जवाहरसिंह काकरान गढ़वाला २७. मनफूलसिंह सिकरवार मिर्जापुर (हाजीपुर) २८. सुक्खनसिंह गाहड़वाल शेखपुरा (नगोना) २९. इमरतसिंह खपरानिया झिलमिला ३०. बंसीसिंह सिकरवार दयालपुर ३१. नेतरामसिंह

शादीपुर ३२. फकीरचन्द कँवर काकरान नजीबाबाद ३३. सुक्खनसिंह धानियार मोहनपुर ।

ज़िला सभा के पदाधिकारी ।

१. प्रधान—ठा० दुर्गादत्तसिंह कुशन नूरपुर (बिजनौर)
२. उपप्रधान—मुन्शी कन्हैयासिंह छाछरान बसी
३. सहायक प्रधान—मुन्शी हरनामसिंह छिछरौलिया, हल्दौर
४. प्रधान मंत्री—ठा० हरिदेवसिंह सिकरवार वैद्य, नगीना
५. उपमंत्री—मुंशी रेवतीसिंह धानियार चौंकपुरी, झालू
६. सहायक मंत्री—ठा० कुन्दनसिंह गाहड़वाल, बिजनौर
७. कोषाध्यक्ष—ठा० बल्देवसिंह लोमोड़ बढ़ापुरा
८. कोषनिरीक्षक—मुंशी मंगू सिंह तोमर नहटौर, मुन्शी निर्मल सिंह तंवर स्माईलपुर और मुन्शी रतन सिंह तंवर शादीपुर ।

हल्दौर में २५, २६ मार्च सन् ४४ को हुई अन्तरंग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

१. यह कमेटी निश्चय करती है कि स्वजाति की मान मर्यादा के निमित संकट के समय नौ एक के लिये और एक नौ के लिये जाति के प्रत्येक स्त्री पुरुष अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिये उद्यत रहें ।

२. यह कमैटी सर्व सम्मति से निश्चय करती है कि श्री सत्यार्थ प्रकाश हमारा धार्मिक ग्रन्थ है। इसके चौदहवें समुल्लास के विरोधियों के विचारों पर असन्तोष प्रगट करती है और हर प्रकार के बलिदान के लिये तैयार है।

३. यह कमैटी खान पान में भेद प्रकट करने वाली बीच में खींच ली गई लकीर के प्रति, चाहे वह हिन्दु जाति के किसी भी अङ्ग की ओर से हो, घृणा की दृष्टि से देखती है।

४. यह कमैटी निश्चय करती है कि स्वजाति के पतित तथा इच्छुक विधर्मी भाइयों को शुद्ध करके जाति में मिला लिया जावे।

५. यह कमैटी निश्चय करती है कि विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार आदि के समय विद्वान आचार्य के अभाव पर स्वयं हवन करके कार्य समाप्त कर लिये जावें।

६. यह कमैटी निश्चय करती है कि विवाह संस्कार दोनों पक्ष के सुभीते पर वर्ष के किसी भी मास के भीतर कर लिया जाये।

७. यह कमैटी स्वजाति के ज़मींदारान और किसान भाइयों को आदेश करती है कि फ़सिल की रास से निकाला हुआ सावड़ी का अनाज आदि दान सभा को दिया करें।

८. यह कमैटी निश्चय करती है कि विवाह के समय वर के सिर पर मौड़ न बांधा जाय, बल्कि क्षत्रियों का प्राचीन चिन्ह मुकुट ही बांधा जाय या फूलमाला इत्यादि पहना दी जाय।

९. यह कमैटी स्वजाति भाइयों को "ओ३म् तत्सत्" के जाप की दीक्षा देती है। स्वजाति भाई बहिन दोनों समय केवल इसी द्वारा प्रार्थना किया करें।

१०. यह कमैटी जाति सेवा के लिये इन्दौरी भाइयों को धन्यवाद देती है।

११. यह कमैटी निम्न ७ सज्जनों का एक बोर्ड निश्चित करती है जो आवश्यकता पड़ने पर ज़िला अफ़सरान से मिला करेगा :—१. ठा० दुर्गादत्त सिंह कुशन, बिजनौरी २. ठा० हरिदेवसिंह सिकरवार वैद्य, नगीना ३. ठा० परमासिंह, धनसीनी ४. ठा० हरनामसिंह, इन्दौर ५. ठा० मन्दूसिंह, बढ़ापुर ६. ठा० सुक्खनसिंह, मंडावर ७. चौ० हरदयाल सिंह लोमाड़, मौज़मपुर (मोहम्मदपुर देवमल)।

दसवें वार्षिकोत्सव के जल्से आम में स्वीकृत प्रस्ताव

१. यह सभा शहर और बड़े कस्बों से ग्रामों को अलग करके शहरों और ग्रामों की जुदा जुदा सर्किलें बनाने की जो प्रधान मंत्री की योजना है उसे सर्व सम्मति से स्वीकार करती है और उसे अमल में तुरंत लाने का पूर्ण अधिकार प्रधान एवम् मंत्री महोदय को देती है।

२. यह सभा ठा० सिल्लूसिंह और उसके साथियों को सभा के नियमों की अवहेलना करने के कारण फ़िलहाल एक

वर्ष के लिये बिरादरी से ख़ारिज करती है। जो भाई उससे या उसके साथियों से किसी प्रकार का संबंध रखेगा वह भी इसी दंड का भागी होगा।

३. यह सभा निश्चय करती है कि ४५ वर्ष की अवस्था तक की स्त्रियों को घर से बाहर जीविकार्थ न भेजा जाय। यदि किसी स्थान के भाई किसी भी अवस्था की स्त्रियों को जीविकार्थ न भेजना चाहें तो । उनको ऐसा भी कर लेने का पूर्ण अधिकार देती है।

४. यह सभा पास करती है कि हर मौक़ा बात चीत में या लिखा पढ़ी में, जहां कौमियत जताने की आवश्यकता हो, केवल "कश्यप राजपूत" शब्द का ही प्रयोग किया जाय। और वंश जताने निमित्त अपने गोत्र को बताया जाय।

५. यह सभा आदेश करती है कि उत्सव बढ़ापुर में पास किये गये "किसी असमर्थ भाई से विवाह, जिस्टौन, तेरहवीं आदि अवसरों पर जबरिया बदले का खाना न लिया जाय" इस प्रस्ताव का पूर्ण रूप से पालन किय जाय।

६. यह सभा निश्चय करती है कि स्वजाति भाई अपने बच्चों को अवश्य पढ़ावें और अन्य भाषाओं के साथ साथ संस्कृत अवश्य पढ़ाई जाय; क्योंकि इसके बिना अपने धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं होता।

७. विवाह में बरी बन्द की गई है, परंतु वधू को शोभा

निमित्त वस्त्रों का देना बन्द नहीं है। ज़ेवरात को फेरों पर न लेकर प्रातःकाल बिदायगी पर लिया जाय।

८. हिन्दु जाति के वैदिक धर्म में किसी भी प्रकार का मांस-भक्षण निषिद्ध होने से यह सभा उसे अपनी बिरादरी में अब पूर्ण रूप से बन्द करती है और सर्किलों के अधिकारियों को आदेश करती है कि इसके प्रतिकूल चलने वालों पर कम से कम २५) दण्ड अवश्य नियत किया जावे।

९. विवाह ख़र्च के नाम पर वसूल की जाने वाली रक़म को यह सभा क़तई बन्द करती है। बेटे वाला अपनी सर्किल के पंचों और प्रधानादि अधिकारियों द्वारा अपना ज़ेवर वापिस ले लेगा। बेटी वाला भी अपनी पुत्री पर रुपये का लेन देन नहीं करेगा और शास्त्रोक्त रीति से पुनर्विवाह कर देगा। इस नियम के विरुद्ध चलने वाले को सर्किल सख़्त दण्ड देगी। यही नियम क्वारी लड़की पर रुपये का लेन देन करने वालों पर भी लागू होता है।

१०. खोड़िये में उद्दण्डता करना और गन्दे शब्द उच्चारण करना बन्द किया गया। ऐसा करने पर ५) दण्ड होगा।

११. जब तक लड़की १४ वर्ष की और लड़का १८ वर्ष का न हो जाय विवाह न किया जाय।

१२. यह जाति अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के अलावा दस्तकारी या खेती आदि कार्यों में भी लगाये।

१३. विवाहों में व्यर्थ रुपया न खर्चा जाय, बारात में

४० भाइयों से ज़्यादा न हों, ज़ेवर ५०) से अधिक का न हो तथा रंडो व सांगादि नाच न हों।

१४. गाने वाली औरतों (नटनियों) को जो कि प्राय: बिरादरी के घरों पर आकर ठहरती व नाचती हैं कोई भाई न अपने यहां ठहरने दे न नाच करावे। जो ऐसा करेगा २५) दण्ड का भागी होगा।

१५. फेरों पर कार्यकर्त्ता को २॥), दोनों पुरोहितों को एक एक रुपया, दोनों आश्रितों को चार २ आने, वर वधू पर न्योछावर एक २ रुपया, कुल ७) रुपये खर्च किये जायेंगे। गौ दान लड़के का लैने का हक है; पुरोहित को नहीं दिया जायगा। पूजन इत्यादि नाम से कोई टका नहीं चढ़ाया जायगा। न लोख या भूदग्ध आदि का कुछ दिया जायगा। जो बेटी वाला, बेटे वाले को, सात रुपये से अधिक खर्च करने पर विवश करेगा, वह २५) दण्ड का भागी अपनी सर्किल से होगा।

१६. यह सभा साहब कलक्टर बहादुर व सुपरिन्टैन्डैन्ट पुलिस ज़िला बिजनौर व पुलिस थाना नजीबाबाद को उनके सुप्रबंध के लिये धन्यवाद देती है व साहू भगवती प्रसाद जा मालिक धर्मशाला नजीबाबाद, बैंड बाजों व भजन मंडलियों के सदस्यों एवम् अन्यान्य सभी सहायता प्रदान करने वालों और किसी प्रकार की भी सेवा करने वालों का सभा आभार मानती है।

वार्षिकोत्सव की कार्यवाही

उस परम-पिता परमात्मा का अनेक धन्यवाद है जिसकी कृपा से यह सभा २१ वर्ष समाप्त कर २२ वें वर्ष की आयु को प्राप्त हो रही है और अपनी आयु के अनुकूल ही इसके ज्ञान बल, श्रद्धा बल, शरीर बल, कर्म बल, धन बल, विचार बल, विद्या बल, प्रेम बल, और राजपूती बल भी यौवनावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। धन बल का पता इसी से चलता है कि जाति के बहादुरों ने उत्सव के किसी दिन भी धन की अपील करने के लिये किसी सज्जन को खड़ा होने का मौका ही नहीं आने दिया और रुपये की इतनी वर्षा करते रहे कि लिखने और संभालने वालों को होश नहीं दिया। वाह रे वीर क्षत्रियों ! खूब पलटा खाया। अनेक धन्यवाद।

लगभग चार हज़ार कश्यप राजपूतों ने उत्सव में पधार कर प्रमाणित कर दिया कि हमारी श्रद्धा, प्रेम और संगठन पूर्ण जवानी को पहुंच चुके हैं। विचार बल के लिहाज़ से जब हम अपनी आज की ग्रामीण कश्यप राजपूत जनता के साथ बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि यह लोग तो हमारे अनुमान से भी अधिक ऊंचा उठ चुके हैं।

आज वह अपनी माता, बहिनों, देवियों तथा पुत्रियों और पुत्रों को धर्म बल, विद्या बल, ज्ञान बल और क्षत्रिय बल से परिपूर्ण करने में लगे हैं। कुछ अंशों को छोड़ते हुए

अधिकांश में कश्यप राजपूत जाति बहुत ऊंचा उठ चुकी है।

इस उत्सव में १. श्रीयुत ठा० बिहारीलाल जी बड़गूजर साधन (मेरठ) प्रधान कश्यप राजपूत सभा यू० पी० २. श्रीयुत ठा० श्यामलाल जी नागर, सम्पादक 'राजपूत प्रकाश' एटा ३. श्रीयुत ठा० श्यामबिहारीसिंहजी, सेक्रेटरी ब्रांच आल इंडिया धुरिया क्षत्रिय महासभा गणेशगंज लखनऊ ४. श्रीयुत ठा० भगवानदास जी स्थानापन्न प्रधान सेक्रेटरी कश्यप राजपूत सभा यू० पी० गली शाह कमर इटावा यू० पी० ५. श्रीयुत ठा० मूलचन्द जी आर० एम० एस० शौर्टर लखनऊ ६. श्रीयुत ठा० हरध्यानसिंह जी हेड अध्यापक तोतरों (सहारनपुर) इत्यादि अन्य ज़िलों के निवासी विद्वानों ने भी पधार कर अपने विद्वत्तापूर्ण भाषणों से जनता को लाभ पहुंचाया।

नजीबाबाद में साहू भगवतीप्रसादजी की ३ सहन वाली विशाल धर्मशाला इस उत्सव के लिये नियत की गई थी। चुनांचे स्वागतकारिणी के वालंटियरों ने धर्मशाला के सबसे बड़े सहन में एक बड़ा ही सुन्दर सुसज्जित एवम् सुव्यवस्थित पिंडाल बनाया था। इसी धर्मशाला के ऊपर नीचे के तमाम कमरों इत्यादि में आगन्तुक मेहमानों के ठहराने इत्यादि का समुचित प्रबंध किया गया था।

ता० १६ जून सन् ४४ ई०

उत्सव का प्रथम दिन था। बहुत से भाइयों ने, जो एक दो दिन पूर्व ही से एकत्रित होना शुरू हो गये थे, शौच स्नानादि से निवृत्त हो प्रधान मंत्री के आचार्यत्व में संध्या हवन किया। देवियों ने भी, जो अच्छी संख्या में पधारी थीं, धर्मशाला की ऊपर की मंज़िल को संध्या, हवन, ईश्वर प्रार्थना तथा भक्ति भजनों इत्यादि से ईश्वर आराधना का केन्द्र बना दिया था। दो बैंड बाजों के नाद ने तो उत्सव को चार चांद ही लगा दिये थे। स्वजाति भाइयों के झुण्ड के झुण्ड उत्सव में शरीक होने के लिये चले आ रहे थे। आज शाम को ५ बजे से सदा की भाँति सभापति महोदय का जुलूस बड़ी धूम धाम से निकाले जाने का प्रबंध हो रहा था। किन्तु शाम को ३ बजे पुलिस नजीबाबाद की ओर से, अज्ञात कारणों वश, बिजनौर से आज्ञा आये बिना जुलूस न निकालने की बे वक्त की हिदायत प्राप्त होने के कारण सभा ने मजबूरन जुलूस का निकालना स्थगित कर दिया। क्योंकि बिजनौर से आज्ञा प्राप्त करने का समय नहीं रहा था और अगले दिन जुलूस निकालने में कुछ शोभा नहीं थी।

शाम को ६ बजे से उत्सव की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए मंत्री महोदय ने सर्व प्रथम ईश्वर-प्रार्थना की। पश्चात् मनोनीत प्रधान श्री० डा० दुर्गादत्तसिंहजी कुशन से सिंहासन पर विराज-

मान होने की प्रार्थना की। प्रधान जी ने आसन को ग्रहण करते हुए उपस्थित जन समूह के प्रति आभार प्रगट किया और अपने १२ पृष्ठ के छपे हुए सारगर्भित भाषण को पढ़ा। इसके बाद मुंशी कन्हैयासिंह जी उपप्रधान ज़िला सभा, छकड़ा निवासी श्री तुलसीराम उपाध्याय, डा० हरनामसिंह छाछरान बसी इत्यादि महानुभावों के भजन व उपदेश हुए। अंत में प्रधान महोदय ने अत्यन्त उत्साह-वर्द्धक व्याख्यान देकर आज की कार्यवाही को समाप्त किया।

ता० १७ जून सन् ४४ ई०

प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्ति के पश्चात् प्रधान मंत्री ज़िला सभा के आचार्यत्व में संध्या, हवन और ४० भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।

श्रीयुत कुशल जी की प्रधानता में उत्सव की कार्यवाही ६ बजे प्रातः आरंभ हुई। आज जनता लगभग चार हज़ार के तो आ चुकी थी और अभीतक आमद जारी हो थी। श्री प्रधान जी ने प्रोग्राम पेश करते हुए जाति उत्थान पर ऐतिहासिक व्याख्यान दिया। श्री तुलसीराम जी उपाध्याय के भजनोपदेश से जनता खूब प्रभावित हुई। डा० हरिसिंहजी केतवान नजीबाबाद ने जाति सुधार पर हृदय ग्राही कविता सुनाई। श्रीयुत डा० श्यामलाल जी नागर एटा (जो कि जाति के गम्भीर विचारक और सुधारक हैं) का जाति सुधार पर बड़ा

प्रभावशाली व्याख्यान हुआ जिसे जनता ने बड़े शान्त भाव से सुना। ठा० हरनामसिंह जी भजनोपदेशक का भजन हुआ। आपके भजनों से जनता कभी ऊबती नहीं; निरंतर सुनना चाहती है—रस और शिक्षा अधिक होती है। श्रीयुत ठा० बिहारीलाल जी बड़गूजर प्रधान यू० पी० कश्यप राजपूत सभा साधन (मेरठ) (जो वास्तव में इस पद के योग्य ही हैं) का धर्मोपदेश हुआ जिसे जनता ने बहुत ही पसन्द किया। श्री ठा० गुलाबसिंह जी बमो जाति-सुधार पर बोले। मुन्शी रेवतीसिंह जी उपमंत्री ज़िला सभा, चौंकपुरी का उत्साह वर्द्धक व्याख्यान हुआ। श्रीयुत ठा० श्याम बिहारीसिंह जी सेक्रेटरी ब्रांच आल इन्डिया धुरिया क्षत्रिय महासभा गणेशगंज लखनऊ का जाति उत्थान पर मार्मिक व्याख्यान हुआ जिसका उपस्थित जनता पर भारी प्रभाव पड़ा। तुलसी राम जी उपाध्याय का भजनोपदेश हुआ।

२ बजे दोपहर जलसा विसर्जित हुआ और उपस्थित जनता को खान पीन कराया गया। उधर शेर-दिल ठा० जोरावर सिंह जी तथा मड़के के अन्य भाइयों ने १४ घड़ी गुड़ ला उपस्थित किया। धन्यवाद। खाने पीने से निवृत्त हो ज़िला सभा की अंतरंग कमैटी अलग बड़े कमरे में श्री कुशन जी की प्रधानता में बैठी, जिसने ज़िला बिरादरी के कल्याणार्थ बहुत से प्रस्ताव पास किये।

५ बजे सायं श्री प्रधानजी की अध्यक्षता में उत्सव की कार्य-

वाही पुनः आरंभ हुई। प्रधान मंत्री ज़िला सभा ने अंतरंग में पास हुए प्रस्ताव पढ़कर सुनाये और समझाये, जिन्हें समस्त जनता ने सर्व सम्मति से स्वीकार किया।

भजनोपदेशक मुंशी हरनामसिंह जी का भजन कुरीति निवारण पर हुआ। श्री ठा० बिहारीलाल जी बड़गूजर साधन (मेरठ) प्रधान यू० पी० सभा का बड़ा हृदय ग्राही और उच्च भावनाओं पर धर्मोपदेश हुआ। जाति-उत्थान पर श्री कुशन जी प्रधानोत्सव का बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ। जाति संगठन पर एक उच्च भाषण श्री ठा० श्याम लाल जी नागर एटा का हुआ। जाति सुधार पर व्याख्यान श्री ठा० श्यामबिहारी सिंह जी लखनऊ का हुआ जिसे जनता ने बहुत पसंद किया। जाति सुधार पर व्याख्यान मुंशी रेवतीसिंह जी धानियार चौंकपुरी का हुआ। जाति उन्नति पर प्रभावशाली व्याख्यान श्री ठा० भगवानदास जी सेक्रेटरी कश्यप राजपूत सभा यू० पी० का हुआ। अंत में उपाध्याय जी का भजन हुआ। ७ बजे जलसा विसर्जित कर ईश्वर-भजन व भोजन किया गया।

१० बजे रात्रि को कार्रवाई जलसा पुनः शुरू हुई। मास्टर कन्हैयासिंह जी का ईश्वर-भक्ति पर भजनोपदेश हुआ। मुंशी हरनामसिंह जी का स्त्री शिक्षा पर भजन हुआ। कुरीति निवारण पर श्री ठा० मल्हूसिंह जी बढ़ापुर का प्रभावशाली भजनोपदेश हुआ जिसे जनता ने बहुत

सराहा। मास्टर किशनसिंह जी जलालपुर ने अपना प्रभाव-शाली व्याख्यान दिया। स्त्री-शिक्षा पर व्याख्यान ठा० मुकन्दीसिंह नांगल जट का हुआ। संगठन पर व्याख्यान ठा० बिहारीलाल जी बड़गूजर प्रधान यू० पी० सभा का हुआ। जाति सुधार पर भजन मुंशी हरनामसिंहजी का हुआ। रात्रि में २ बजे उत्सव विसर्जित किया गया।

ता० १८ जून सन् ४४ ई०

स्नानादि निवृत्ति के पश्चात् श्री ठा० बिहारीलाल जी बड़गूजर प्रधान यू० पी० सभा साधन (मेरठ) के आचार्यत्व में संध्या हवन हुआ और ७० कश्यप राजपूतों का यज्ञो-पवीत संस्कार हुआ।

८ बजे प्रातः यज्ञ के बाद कमरे हाल में श्रीयुत ठा० बिहारीलाल जी बड़गूजर प्रधान यू० पी० सभा साधन (मेरठ) के सभापतित्व में यू० पी० सभा की अन्तरंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें कई उपयोगी प्रस्ताव पास हुए। श्री प्रधान मंत्री यू० पी० सभा इसी रिपोर्ट में उन प्रस्तावों को प्रकाशित करा रहे हैं। वे प्रतिनिधि रूप से कमेटी में उपस्थित थे।

१०॥ बजे श्री कुशन जी की सदारत में उत्सव ज़िला बिजनौर की कार्रवाई आरंभ हुई। जाति उन्नति पर उपा-ध्याय जी का भजन हुआ। श्री ठा० बिहारीलाल बड़-

गूजर साधन (मेरठ) प्रधान यू० पी० सभा का हिन्दु जाति के विभाजित आडम्बर पर एक घण्टा व्याख्यान रहा जिसकी हाज़रीन जलसा ने दाद दी। जाति उत्थान पर मुंशी हरनाम सिंह जी का भजनोपदेश हुआ। ठा० रेवतीसिंह जी ने जाति मसले पर लिखित मज़मून पढ़ा। ठा० नत्थूसिंह जी चितवानिया U. P. R. D. O. हमीदपुर का जाति सुधार पर हृदयग्राही भजन हुआ। ठा० हरिसिंह जी केतवान नजीबाबाद ने उत्तम कविता पढ़ी। स्त्री जाति सुधार पर ठा० हरनाम सिंह जी बसी और ठा० मुकन्दीसिंह जी नांगल जाट के भजन हुए। जाति सुधार पर व्याख्यान ठा० घसीटासिंह जी झिलमिला का हुआ और २ बजे सभा समाप्त हुई।

मध्यान्ह के बाद ४॥ बजे से श्री कुशन जी के सभापतित्व में कार्रवाई जलसा पुनः आरंभ हुई। ठा० मूलचन्द जी सरकड़ा का जाति सुधार पर व्याख्यान हुआ। ठा० हरनामसिंह जी के भजनोपदेश ने सभा में रंग ला दिया। ठा० पूरनसिंह जी लोमोड़ का शिक्षा पर व्याख्यान हुआ। श्री उपाध्याय जी के भक्ति एवं मनोरंजन के भजन हुए। श्री सभापति जी ने अपनी ओर से निम्न ५ वीरों को जाति सेवार्थ आजीवन दीक्षा दी तथा व्याख्यान द्वारा उन्हें इनकी ज़िम्मेदारियां समझाईं:—१. वीर ठा० हरनामसिंह जी ख्वारान बसी २. वीर ठा० तिर्मल सिंह जी तंवर स्माईलपुर ३. वीर ठा० रतन सिंह जी तँवर शादीपुर ४. वीर ठा०

रेवतीसिंह जी धानियार चौंकपुरी ५. वीर ठा० फ़क़ीरचंद जी कँवर काकरान नजीबाबाद।

ठा० प्रवीनसिंह सिकरवार पतित ग्राम कुंभैटा तथा मोखा सिंह पतित बकली ज़िला बिजनौर की शुद्धि पर विघ्न उपस्थित होने पर ठा० हरिदेव सिंह सिकरवार, ठा० बिहारी लाल जी बड़गूजर, ठा० श्याम लाल जी नागर और ठा० श्यामबिहारी सिंह जी के शुद्धि-समर्थन पर व्याख्यान हुए। तत्पश्चात् पतितों को स्नान कराया गया। प्रवीनसिंह का एक छोटा पुत्र भी था। प्रधान मंत्री ज़िला सभा के आचार्यत्व में तीनों का शुद्धि संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। पश्चात् दोनों के हाथ से सब उपस्थित जनता को बताशे बांटे गये, भोजन और जल परसवाया गया और जाति ने उन्हें हर प्रकार से अपना अङ्ग बना कर एक रस कर लिया। ठीक है। जाति गङ्गा ग्रीयसि।

९ बजे रात्रि को प्रधान मंत्री ज़िला सभा ने सबका यथा योग्य धन्यवाद कर अंतिम रूप से उत्सव समाप्त किया।

तीनों दिन सभापति श्री कुशन जी प्रत्येक भजन व व्याख्यान के पश्चात् उसका आशय जनता को भली भांति समझाते रहे जिससे जनता खूब प्रभावित होती रही।

हृदय-निर्माण न कि धर्मशालायें

उपरोक्त उत्सव नजीबाबाद और कमैटी मंडावर पर ज्वालापुर-कनखल-हरिद्वार के कुछ भाई हरिद्वार में धर्मशाला बनाने निमित्त चन्दा करने आये थे। उनके पास जो छपे हुए इश्तिहार थे उनमें उन्होंने जाति द्वारा त्याग दिये गये जाति के पुराने नाम को ही छपा रक्खा था; इसीलिये सभा ने उन्हें अपने उत्सवों में नहीं पढ़ा जाने दिया और न इसको कोई चर्चा होने दी। दो बार आये गुण खर्चे का विचार करते हुए उन्हें मंडावर में १०) दे दिये गये और यही निश्चय किया गया कि कोई भाई इन्हें एक पैसा भी सहायता न दें। क्योंकि ज़िला सभा के कार्यकर्त्ता गण फ़िलहाल यह कार्य अनावश्यक समझते हैं और ऐसे विचार रखने वाले सभी स्वजाति भाइयों को सावधान करते हुए उनसे पूछते हैं कि जो धर्मशालायें और भवन परोपकारार्थ देश में आज मौजूद हैं, उन सभी में क्या स्वजाति की भी गाढ़ी कमाई के खून पसीने की ईंटें नहीं लगी हैं? क्या देश उनसे लाभ उठाने के आपके अधिकार को छीनना चाहता है? या कभी छीनने की कोशिश की है? आज तक स्वजाति सभाओं की जितनी भी कान्फ्रेंसें जलसे और मीटिंगें होती रही हैं क्या वे सभी देश के उत्तम भवनों और धर्मशालाओं में नहीं होती रहीं? फिर आप जाति की देवियों, पुरुषों और बच्चों की शर्म खाने और आंसू बहाने लायक बिगड़ी दशाओं को पहिले न

सुधार कर धर्मशालाओंके ही निर्माण में क्यों लगे हैं और क्यों व्यर्थ में पैसा बर्बाद कर रहे हैं ? कभी समय आयेगा जब धर्मशालाओंका निर्माण भी आपको शोभा देगा। सभा चाहती है और इसी उद्योगमें लगीहै कि पहिले भारतके ४ करोड़ (जिनमें १७ लाख तो यू०पी० और उनमें भी २२ हज़ार ज़िला-बिजनौर में ही रहते हैं) स्वजाति लालोंके हृदयों को ऊंचे और बलवान बना कर चमचमाते स्वर्ण मन्दिर और धर्मशालायें बना दिया जाय। धर्मशालायें या मन्दिर बनवाने या गया आदि कोई भी तीर्थ जाने या देवी देवताओं के नाम पर बकरे आदि उपकारी जीवोंकी बलि देकर अज्ञान और पाप की गठड़ी को और भी भारी कर लेने से जाति का उद्धार कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा विद्या, ज्ञान और आत्म-बल से ही होगा।

जाति राजपूत लिखावें

ज़िले बिजनौर के कश्यप राजपूत ज़िमींदारान व काश्तकारान को सूचित किया जाता है कि साहब कलक्टर बहादुर ज़िला बिजनौर ने ता० १६-७-३६ को Deptt. No VII File-No. 43 Serial No. 5 को मिस्ल के ज़रिये ज़िले के तमाम पटवारियोंको जो हिदायत जारी की थी उसका हवाला देकर कागज़ात पटवारी में यदि आपने अपनी जाति अभी तक भी ठीक न लिखाई हो तो अब हल्का पटवारी से कहकर "कश्यप राजपूत" अवश्य लिखा लें। यदि पटवारी इंकार करें तो

तहसीलदार साहब के यहाँ पटवारी की शिकायती दरख़्वास्त देकर दर्ज करा लें। किसी प्रकार की भी अड़चन पर ज़िला सभा के कार्यकर्त्ताओं को लिखें और उनसे मदद लें।

चेतावनी

ठा० झुन्नासिंह जी प्रधान सर्किल शादीपुर की ज़बानी मालूम हुआ है कि गङ्गा के आस पास की सर्किलें नांगा साधु झुन्नासिंह जी (स्वजाति में जन्म पाये हुए) के कुटि स्थान पर (जिसमें पहिले भी जाति ने धन लगाकर कुआं बनवा दिया था) एक धर्मशाला बनवाना चाहती हैं। ज़िला सभा उन सर-किलों तथा ज़िले के सभी भाइयों को चेतावनी देती है कि साधु झुन्नासिंह जी के देहान्त के बाद वह धर्मशाला आपका नहीं होगी और न आज वह स्थान आपका है बल्कि हमें निश्चित रूप से ज्ञात हुआ है कि वह स्थान "जूनागढ़ नांगा अखाड़े" के नाम से प्रसिद्ध है और हमेशा रहेगा। इसलिये कोई भाई या सर्किल धोखा न खावे।

दस्तकारी स्कूल

ज़िला बिजनौर निवासी स्वजाति बन्धुओं की उन्नति के लिये ज़िले में एक स्वजाति का दस्तकारी स्कूल जल्दी से जल्दी जारी किये जाने की ज़रूरत है। अतएव ज़िला सभा के कार्यकर्त्ताओं ने निश्चय किया है कि जब ज़िला सभा का स्थायी फंड मज़बूत हो जायगा तो वह आपके कल्याणार्थ एक

दस्तकारी स्कूल खोलेगी और यदि संभव हुआ तो स्कूल के निमित्त ज़मीन खरीदकर स्कूल का अपना भवन भी निर्माण करायेगी। अतएव प्रत्येक सर्किल का कर्त्तव्य है कि वह स्कूल खोलने के निमित्त अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा करके ज़िला सभा को शीघ्र से शीघ्र भेजें।

सर्किल प्रधानों के नाम

१. तन्सुखासिंह हरेवली कल्याणपुर (नांगल शुक्का) २. बिहारीसिंह केतवान आलोपुर ३. मुक्खनसिंह केतवान अब्दीपुर ४. मजवासिंह कछवाहा हरगनपुर ५. सुक्खेसिंह लोमोड़ चत्री नवादा ६. सुक्खेसिंह ठेकेदार नांगल शुक्का केवल कस्बे के लिये ७. थानीसिंह लोमोड़ गदाइकी ८. अमीचंदसिंह धानियार हरचंदपुर ६. कल्लीसिंह काकरान जालपुर १०. नत्थूसिंह लोलवा राजपूत तिसोतरा ११. ठकरासिंह काकरान १२. चंदनसिंह सिकरवार खिरनी १३. तुल्लासिंह चाहड़वाला १४. परमासिंह लोमोड़ फ़जलपुर (मंडावर) १५. बनवारीसिंह लोमोड़ डाईबलगढ़ १६, नत्थूसिंह तंवर रावली १७. जोरावर सिंह केतवान मड़का १८. भरतासिंह खपरानिया ऊमरी दबासीवाला १६. गेन्दासिंह सिकरवार सभाचंदपुर (भनेड़ा) २०. प्रीतमसिंह धानियार शमीपुर २१. प्रभूसिंह काकरान गढ़ी मलकपुर २२. भगवान सिंह गोलियान शहालीपुर फतेपुर २३. भजनइसिंह धानियार चौंकपुरी २४. ख्यालीसिंह

हेलयान नांगल जट २५. गोविंदसिंह बागपत कछवाहा शाह-जादपुर २६. मोतीसिंह रामोरूपपुर २७. मुन्नासिंह शादीपुर २८. मक्खनसिंह बरूकी २९. हरीसिंह फखानपुर ३०. नन्हे-सिंह मंडावली ३१. चंदासिंह जाप्तेगंज नजीबाबाद ३२. तुलसीराम झिलमिला ३३. गिरधारीसिंह रामपुर ३४. सुक्खनसिंह पवांड़ छितावर ३५. लेखासिंह काकरान सोपुरी ३६. टीकमसिंह शेखपुरा (नगीना)। ३७. गुलाबसिंह दारानगर ३८. डूगरसिंह मसूरी ३९. शेरसिंह सब्दलपुर गन्धौर ४०. कन्हैयासिंह दतियाना बास्टा ४१. अमीचंद नंगला महलका बास्टा ४२. इन्द्रसिंह मंसूरपूर गन्धौर ४३. बुद्धुसिंह धन्सूरपुर गन्धौर ४४. दलपतसिंह पोपली चांदपुर ४५. मबासीसिंह बमड़ौली ४६. बनवारीसिंह इन्दौर ४७. पूरनसिंह गिलाड़ा ४८. कढेरासिंह बघाला डा० कोतवाली ४९. कढेरासिंह जीतपुर पलड़ी कोतवाली।

नोट :— शेष नाम अभी तक ज्ञात न हो पाने से नहीं छापे जा सके।

भोजन सामग्री समाप्त

उत्सव नजीबाबाद में पधारने वालों के भोजन निमित्त जो एक गाड़ी लकड़ी व १५॥।ऽ७॥।≈ गेहूँ, चना, गुड़, दाल, आटा वग़ैरा सामग्री प्राप्त हुई थी वह सब वहीं समाप्त हो गई।

ह० ठा० हरिदेवसिंह सिकरवार वैद्य,
प्रधान मंत्री।

ता० ८ जून सन ३६ ई० से ३० जून सन ४४ ई० तक की

आय व्यय का खुलासा

स्थानाभाव से यहां आय व्यय का पूरा विवरण दिया जाना असम्भव है, खुलासा मात्र दिया जाता है। जो भाई विशेष रूप से देखना चाहें वे खज़ाञ्ची जी के पास या मेरे पास तशरीफ़ लाकर बड़ी खुशी से देख सकते हैं। पूरे हिसाब की जाँच सभा के नियुक्त तीनों निरीक्षकों ने कर ली है; उनकी सम्मति भी अंत में प्रकाशित की जाती है।

आय

६३≡)	योग कुल आय मंत्री सभा ता० ८ जून सन १६३६ ई० से ता० १५ जून सन् १६४४ ई० तक
११७॥)	योग कुल आय खज़ांची सभा ता० ८ जून सन् १६३६ ई० से ता० १५ जून सन् १६४४ ई० तक
३१)	आय प्रधान सभा ६ दिन के दौरे में नजीबाबाद उत्सव के लिये
५४७॥)	आय कुल योग उत्सव नजीबाबाद के पिंडाल में
३६)	आजीवन मेम्बरान फ़ीस, नजीबाबाद उत्सव में
६॥)	योग कुल आय यज्ञोपवीत, उत्सव नजीबाबाद में
११३≈)	योग कुल आय भोजन-भंडार-नजीबाबाद-उत्सव
२॥−)	प्रधान मंत्री जी के पास से जो अधिक व्यय हुआ, उन्होंने उसे सभा से नहीं लिया
६५०॥।≈)	योग कुल आय

व्यय

२१२।≡)।।	योग कुल व्यय ता० १६ जून सन् ४४ से ता० ३० जून सन् ४४ ई०तक नजीबाबाद उत्सव का
६५।।।)	योग कुल व्यय प्रधान मंत्री सभा ता० ८-६-३९ से १५-६-४४ तक
८०=)।।	योग कुल व्यय ख़ज़ांची सभा ता० ८-६-३९ से ता० १५-६-४४ तक
११२।।-)।	योग कुल व्यय भोजन भण्डार नजीबाबाद
५००।।।≡)।	योग कुल व्यय
४४९।।।=)।।।	ख़ज़ांची जी सभा के पास जमा हैं
९५०।।।=)	कुल योग

कोष-निरीक्षकों की सम्मति

तारीख़ ८-६-३९ से तारीख़ ३०-६-४४ तक का आय-व्यय पूर्ण रूप से जाँच लिया गया है। हिसाब को जाँचने से उसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं पाया गया है। यदि किसी स्वजाति भाई को हिसाब की गड़बड़ी होने का संदेह हो तो वह प्रधान मन्त्री सभा तथा ख़ज़ाँची सभा के आय-व्यय आदि के रजिस्टरों की किसी समय भी आकर जांच करके अपने सन्देह को दूर कर सकते हैं............।

ह० वीर मुन्शी निर्मलसिंह तँवर

ह० मु० मंगूसिह तोमर   ह० ठा० रतनसिंह तँवर

कोष-निरीक्षक।

यू० पी० सभा की अंतरंग बैठक के स्वीकृत प्रस्ताव

(श्री प्रधान मंत्री यू० पी० सभा की क़लम से)

कश्यप राजपूत प्रतिनिधि सभा, सभा यू० पी० की अंतरंग बैठक ता० १८ जून सन् ४४ ई० को स्थान धर्म-शाला साहू भगवतीप्रसाद जी रईस नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में हुई जिसमें निम्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए :—

१—ठा० दुर्गादत्तसिंह कुशान के १९४१ ई० के त्याग-पत्र और स्थानापन्न ठा० मेघनाथ सिंह वर्मा की बीमारी वश अनुपस्थिति के कारण ठा० भगवानदास को सभा की मौजूदा कार्रवाई जारी करने के लिये प्रधान मंत्री चुना गया।

२—यह सभा पास करती है कि यदि कोई ज़िला सभा अपने अधिवेशन पर यू०पी० सभाका अधिवेशन भी करायेगी तो उस उत्सव की कुल आयमें से व्यय के पश्चात् जो भी बचत होगी उसके आधे रुपये लेने का अधिकार यू० पी० सभा का होगा।

३—यह सभा पास करती है कि हर ज़िला सभा 'राजपूत-प्रकाश' पत्र के संचालन के लिये अनिवार्य रूप से १०) प्रति वर्ष देती रहे और ज़िले के धनीमानी सज्जनों से सहायता कराती रहे। इसी समय अपील करने पर जिन जाति-वीर दानदाताओंने निम्न प्रकार सहायता करने का वायदा करके

जो जाति सेवा का परिचय दिया है उन्हें हार्दिक धन्यवाद है। अन्य भाइयों को भी उनका अनुकरण करना चाहिये:—

२५) ठा० दुर्गादत्तसिंह जी कुशन वार्षिक आजीवन, ५) ठा० हरिदेवसिंह जी सिकरवार वार्षिक आजीवन, १०) ज़िला सभा बिजनौर वार्षिक, २) ठा० हरदयालसिंह जी अध्यापक तीतरों ज़िला सहारनपुर वार्षिक, १२) ठा० बिहारीसिंह जी प्रधान सभा यू० पी० वार्षिक।

४—यह सभा पास करती है कि एक "कश्यप राजपूत सैनिक दल" (स्वयंसेवक दल) की स्थापना की जावे। हर ज़िले में सेवा के लिये सैनिक तैयार किये जावें। यू० पी० भर की ज़िला सभाओं को इसे सहायता देना चाहिए।

५—रियासत भोपाल में स्वजाति के ऊपर अन्य क्षत्रियों ने जो क्षत्रियता के विरुद्ध मुक़दमा चलाया था, जज ने उसे ख़ारिज कर दिया है। इस सफलता पर यह सभा रियासत भोपाल के स्वजातीय भाइयों को हार्दिक बधाई देती है।

यू० पी० सभा की अपील

कासगंज ज़िला एटा में प्यारेलाल जो बाथव मय अपनी गर्भवती स्त्री, १५ वर्ष के लड़के तथा ३ वर्ष की लड़की के रेल से कटे हुए पाये गये हैं। कहा जाता है कि वहां के पोस्ट आफ़िस के तार बाबू पं० केदारनाथ शर्मा ने प्यारेलाल जी की स्त्रीसे अपने यहां मज़दूरी करानेके लिये कहा था। इंकार करने पर चोरीका केस बनाकर उसे मय बाल बच्चोंके पकड़वा दिया।

पुलिस ने प्यारेलाल जी व उनकी स्त्री को बेज़ाप्ता बन्द रखा और प्यारेलाल की खूब पिटाई की तथा उनकी स्त्री की शर्मनाक हालत की। पुलिस वालोंने जब उन्हें छोड़ा तो वे बेचारे संसार को अपना मुँह न दिखा सके। १५००० नगर निवासियों ने इस दुखद घटना के मुलज़िमानको सज़ा दिये जाने की मांग की तो एस०पी० ने अपराधी पुलिस को मुअत्तिल करके अपराधियों पर केस चला दिया है। जाति वीरों ! सावधान !! हमें अपनी इज़्ज़त रक्षाके लिये तन मन धनसे तैयार रहना और दुराचारियों को समझा देना चाहिये कि इज़्ज़त के मसले में एक के पीछे हम एक करोड़ से भी अधिक हैं। यू० पी० सभा ने मुक़दमे की पैरवी आदि के लिये "प्यारेलाल शहीद फ़ण्ड" नाम से एक फ़ण्ड क़ायम किया है जिसमें प्रत्येक सभा एवम् भाई को यथाशक्ति धन की मदद मंत्री सभा यू० पी० के पास निम्न पते पर भेजना चाहिये।

ज़रूरी सूचना

यू० पी० भर के स्वजाति भाइयों की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाना अत्यन्त जरूरी है कि अखिल भारतवर्षीय कश्यप राजपूत सभा ता० ८ अगस्त सन् १९२७ ई० को भारत सरकार द्वारा शिमला में रजिष्टर्ड हो चुकी है।

डा० मेघनाथसिंह वर्मा
प्रधान मंत्री—कश्यप राजपूत सभा यू० पी०
पाली खोटी—भर्थना—इटावा (यू० पी०)

प्रधान जी का वक्तव्य !

मैं आगे जो कुछ भी लिखने जा रहा हूं उससे वैसे तो स्पष्टतः आत्म-प्रशंसा का सा भाव प्रगट होगा, किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस लेख से मेरा उद्देश्य आत्म-प्रशंसा कदापि नहीं वरन् क्योंकि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ—शक्तियाँ क्षीण होजाने से भविष्य में जाति काकार्य करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। अतएव मैं चाहता हूँ कि आगे लिखे गये मेरे प्रयत्नों और कार्यशैली से लाभ उठा कर अब आप जाति सेवा का बीड़ा उठावें। मुझे विश्वास है कि इसे पढ़ कर आप में भी आत्मबल जागृत होगा और आप आगे आकर मुझे संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करेंगे। अतएव कोई बन्धु कृपा कर इसका उल्टा भाव न लें।

स्वजाति वीरों को दीक्षा

उत्सव नजीबाबाद की सभा मंडप में ता० १८ जून सन् ४४ को जिन ५ स्वजाति वीरों ने मुझसे दीक्षा ली थी वे पाँचों ही नवयुवक समझदार, कर्मठ और जाति उत्थान के चिन्ह हैं। उन्हें उस समय इस प्रकार दीक्षा दी गई कि—१. संगठित हो पाँचों भाई स्वजाति की सेवा में सदैव तत्पर रहें। २. पाँचों वीर अमर हैं। इनकी सेवा में परिवर्तन न होगा। ३. एक २ प्रति भाषण की, जिसमें जाति सेवा का

मूल मंत्र है, दी गई। ४. सेवा का शुभ आशीर्वाद दिया गया। ५. ओ३म् तत्सत् का पाठ पढ़ाओ।

ता० २ जुलाई सन् ४४ को स्थान नूरपुर में उन्हीं ५ वीरों को दूसरी दीक्षा निम्न प्रकार दी गई थी:—

१—सभा के नियमों का स्वयं पालन करते हुए स्व-जाति में प्रचार करो २—पाँचों भाई भाई हैं और स्वजाति के पांच लाल। ३—कर्महीन दूषित शब्द को जाति से छुड़ाओ। ४—एक भाई की मान मर्यादा पर सब भाई जुट जायें, स्वजाति में इसी का बीज बोओ। ५—कोई मानता नहीं, ऐसा कोई भाई न कह सके; दंड दिया जाये। ६—जाति के संगठनार्थ अमूल्य वस्तु को भी न्योछावर कर दो। ७—आत्मा अमर है परंतु जाति सेवा का पद इससे भी ऊंचा है। ८—प्रत्येक भाई अपना आत्म बल ऊंचा रक्खे; कार्य करने का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। ९—भक्तों, स्वार्थियों, पोपों, पाखण्डियों, ज्योतिषियों इत्यादि के जाल से जाति को मुक्त करो। १०—देवियों की दशा पर आंसू बहाओ और उनको नवजीवन प्रकाश में लाओ।

सभा की नींव और जन्म-दिन

आप अभी यह बात भूले न होंगे कि हिन्दु जाति के संकीर्ण, दूषित और अमानुषिकता के घोर अंधकार भँवर में चक्कर काटते २ आपका जीवन समाप्त सा हो चला

था। आपके क्षत्रिय होने पर भी लोग आपको पतित समझते और कर्महीन कहने लगे थे। इतना ही नहीं; आपकी जाति को विकृत कर दिया था। आप में यह हिम्मत नहीं रही थी कि आप संसार को अपना असली रूप दर्शाते। संसार में कोई भी काम किया जाय, उससे जाति परिवर्तित नहीं हो जाती; किन्तु आपकी जाति तक को इस हिन्दु जाति ने अपनी उच्चता के नशे में चूर होकर परिवर्तित करके आप-को नीचे गिरा दिया था। आपके जन्माधिकार तक छीन लिये थे। मुझे यह सब कुछ सह्य न हुआ।

मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिजनौर के नहटौर स्कूल में हेड अध्यापक था। बार २ अपनी जाति की हीनावस्था को बिचार कर दुःखी होता था। जाति के उद्धार करने के उपाय निरंतर सोचता रहता था। फलतः मेरा आत्मबल जागृत हुआ। सन् १९२३ का ज़माना था। मैंने ज़िले में अपनी बिरादरी की एक सभा क़ायम करने का निश्चय किया और २१ अक्तूबर १९२३ ई० को कुछ अन्य बन्धुओं के सहयोग से "कश्यप राजपूत सभा" की नींव रख दी।

नोटः—२१ अक्तूबर सभा का जन्म दिन है; अतएव प्रत्येक भाई एवं सर्किल का फ़र्ज़ है कि वह प्रति वर्ष २१ अक्तूबर वाले सप्ताह में सभा की जयंती मनावें—स्वजाति-इतिहास "क्षत्रियोदय" को स्वयं पढ़ें, या दूसरों से पढ़वाकर सुनें; एक पंक्ति में बैठ कर ॐ तत्सत्

का शान्तचित्त से पाठ करें और व्रत प्रचार आदि करके सभा का जन्म-दिन अच्छी तरह मनावें।

जाति "राजपूत" लिखा दी

पश्चात् एक ओर तो स्वजाति बन्धुओं को भली प्रकार समझाकर इस बात का प्रचार जारी किया कि सब लोग अब भविष्य में अपनी जाति ठीक जानें और लिखावें। दूसरी तरफ़ मैंने यह प्रयत्न भी जारी किया कि सरकारी रिकार्डों में भी जाति के खाने में हमारी जाति परिवर्तित करके "कश्यप राजपूत" कर दी जावे। इसके लिये सर्व प्रथम मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिजनौर के चेयरमैन से पत्र व्यवहार जारी करके अपनी सर्विस बुक (कैरेक्टर रोल) में जाति के खाने में "राजपूत" परिवर्तित कराया। चेयरमैन साहबका अन्तिम पत्र नं० २१८। १६४४ ता० २६ जनवरी सन् १९२६ई० का था जिसमें उन्होंने मेरी जाति परिवर्तित करके ठीक लिख दिये जाने की स्वीकृति दी थी। इस पत्र की नक़ल अन्य स्वजाति बन्धुओं को जागृत करने के लिये स्वजाति के मासिक पत्र "राजपूत प्रकाश" उर्दू लाहौर के मार्च सन् १९२६ ई० के अङ्क में प्रकाशित करा दी गई थी।

मेरे इस प्रयत्न पर लोगों ने जब मेरे मार्ग में तरह २ से रोड़े अटकाये और गीदड़ भबकियां देकर मुझे नौकरी से अलग करा देने तक की धमकियां दीं तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि "जन्माधिकार किसी के छीने नहीं जासकते, अन्ध-

कारमय जीवन व्यतीत करने वाली जाति को बन्धन में रखे जाना आपकी अनधिकार कुचेष्टा है, हमें उठने का हक़ है और उठकर रहेंगे" और किसी की भी पर्वाह किये बिना दिन प्रति दिन आगे ही आगे बढ़ कर निर्भयता के साथ जाति-सेवा करता रहा। सन् १९३० से १९४१ ई० तक जब मैं यू० पी० सभा का प्रधान मंत्री था तो मैंने गवर्नमैन्ट यू० पी० के आवश्यक महकमों से पत्र-व्यवहार करके निम्न लिखित चार आर्डर पुराने सरकारी रिकार्डों में भी कश्यप राजपूत लिख दिये जाने के लिये मंजूर कराये। यह आर्डर गवर्नमेन्ट गज़टमें छप चुके हैं और सूबे भर के सरकारी संबंधित कर्मचारियों को सरकार की ओर से सूचित किया जा चुका है। स्थानाभाव से यहां उनकी पूरी नक़ल न देकर केवल उनके नंबर, स्थान और तारीख़ें ही छापी जा रही हैं :—

१ — गवर्नमेन्ट यू० पी० (४८ ज़िलों के समस्त स्कूलों के लिये) नं० ७२६। XV--११७६–१९३१ इलाहाबाद मिनजानिब बी० एन० महता स्क्वायर आई० सी० एस० सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट यू० पी० बनाम डाईरेक्टर शिक्षा विभाग यू० पी० ता० १४–११–१९३१ इलाहाबाद।

यह आर्डर यू० पी० के समस्त स्कूलों में गवर्नमेन्ट यू० पी० की ओर से स्वजाति के विद्यार्थियों आदि को जाति कश्यप राजपूत कर देने के लिये भेज दिया गया था।

२ —गवर्नमेन्ट यू० पी० की घोषणा (सरकारी स्वजाति

कर्मचारियों के लिये) नं० 7—U—O/III ता० 11-1-1933 इलाहाबाद मिन्जानिब-H. J. FRAMPTON डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेन्ट यू० पी०।

यह आर्डर स्वजाति के सरकारी नौकरों की जाति के कोष्ठ में कश्यप राजपूत परिवर्तित कर देने के लिये है।

३—गवर्नमेन्ट यू० पी० (बोर्ड आफ़ रैवेन्यु यू० पी०) की ओर से नं० L.R. 5144/IV—4 ता० १७-४-३६ लखनऊ मिन्जानिब सेक्रेटरी बोर्ड आफ़ रैवेन्यु गवर्नमेन्ट यू० पी०।

यह आर्डर स्वजाति के काश्तकारों व ज़मींदारों के लिये गवर्नमेन्ट यू० पी० ने यू० पी० भर के समस्त पटवारियों के पास काग़ज़ात पटवारी में आपकी जाति कश्यप राजपूत दर्ज करने के लिये भेज दिया है।

४—घोषणा मिन्जानिब-सुपरिन्टेन्डेन्ट मनुष्य गणना यू० पी० लखनऊ नं० 1704—ता० 21—7—1940-सेन्सस लखनऊ।

यह आर्डर मर्दुमशुमारी सन् 1941 ई० में (जो फ़रवरी 1941 ई० में हुई थी) कश्यप राजपूत लिखवाने के लिये जारी हुआ था। यह आर्डर मैनुअल सुपरवाइज़रान मनुष्य गणना यू० पी० की पार्ट II धारा 5 पैरा 26 और 49 पर एवम् सन् 1941 की रिपोर्ट में भी दर्ज है।

नोट १—उपरोक्त चारों आर्डरों को तब ही काम में

लाया जा सकता है–जब कोई लिखना, लिखाना या बदलवाना चाहें। अतएव जिन भाइयों ने अभी तक भी अपनी जाति ठीक नहीं कराई है वे अवश्य करा लें।

नोट २—यू० पी० के समस्त ज़िलों के कश्यप राजपूतों को चेतावनी दी जाती है कि उपरोक्त चारों आर्डरों को काम में लाते समय प्रायः संबंधित पदाधिकारी (मुसलमान नहीं) अपने निजी दूषित वातावरण द्वारा अनेक अड़चनें (रुकावट) डालते रहते हैं–जिससे स्वजाति प्रेमियों का साहस टूट जाता है। मेरे पास इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें जाति बन्धुओं की आती रही हैं और आती हैं जिनसे स्पष्ट पाया जाता है कि कुछ पदाधिकारी खुल्लमखुल्ला गवर्नमेन्ट आर्डरों की अवज्ञा करते हैं जो कि क़ानून के सर्वथा विरुद्ध है। अतः मैं आप लोगों को परामर्श देता हूं (यदि मेरा परामर्श धारा के विरुद्ध होगा तो सरकार मुझे ही कहेगी; आप बेखटके रहें) कि आप ऐसे पदाधिकारियों के विरोध स्वरूप संगठित होकर उन पर न्यायालय में अभियोग चलायें और जब तक न्यायालय उनको उचित दंड न देदे, ख़ामोश न बैठें। आगे सन् १९५१ ई० में मनुष्य गणना (मर्दुमशुमारी) होगी। उस समय यदि कोई शुमार कुनिन्दा, पटवारी अथवा आफ़िसर (१९४१ ई० की मनुष्य गणना में प्रायः पटवारी इत्यादि का लिखा हुआ भी किसी २ आफ़िसर ने काट दिया था) आप की जाति ठीक न लिखे तो आप ऊंचे "अफ़सरों" से शिका-

यत कर ठीक लिखावें । जब तक ठीक न लिखी जावे आप बराबर शिकायतें करते रहें ।

'क्षत्रियोदय' इतिहास

उपरोक्त तमाम कार्यों के साथ २ मुझे यह भी धुन थी कि स्वजाति का एक प्रामाणिक इतिहास तैयार किया जाय। चुनाचि मैंने ऐतिहासिक ग्रन्थों का भली प्रकार अध्ययन करके 'क्षत्रियोदय' नाम से स्वजाति का हिन्दी भाषा में दो भागों में एक बृहत् इतिहास तैयार किया। प्रथम भाग तो बहादरपुर जट ज़िला सहारनपुर निवासी श्री ठा० रूढ़ासिंह जो रेंजर की आर्थिक सहायता से प्रकाशित होगया था किन्तु दूसरा भाग अनेक अनिवार्य असुविधाओं के कारण अभीतक अप्रकाशित है। इन दोनों भागों का उर्दू अनुवाद करके सन् १९३५ ई० में कश्यप राजपूत महासभा लाहौर को पूर्ण अधिकारों सहित प्रकाशनार्थ अर्पण कर दिया था जो अभी तक अप्रकाशित है।

जाति की सुषुप्तावस्था होने से हिन्दी में प्रकाशित उस प्रथम भाग की गत वर्षों तक थोड़ी ही सी प्रतियाँ बिकी थीं— शेष पेटियों में बन्द रखी थीं। इस वर्ष उसकी मांग बढ़ने पर जब पेटियों को खोला गया तो यह देखकर अपार दुख हुआ कि तीन पेटियों में बंद उसकी ५३० प्रतियाँ दीमकों ने बुरी तरह चाट कर नष्ट प्रायः कर दीं। गत वर्षों में जो प्रतियाँ कान-

पुर, आगरा, मुरादाबाद, देहली आदि प्रचारार्थ भेजी गई थीं उनमें से भी १२५ प्रतियाँ वहीं रह गईं और उनका मूल्य आजतक भी वसूल नहीं हुआ । २२ प्रतियाँ ज़िला मेरठ मुज़फ्फ़रनगर के प्रचारकों को उनकी जाति सेवा निमित्त दी गई। १५ प्रतियां यू० पी० कश्यप राजपूत सभा की सहायतार्थ दी गईं। इस तरह वह पहिला भाग भी लगभग समाप्त हो जाने से मेरा विचार अब दोनों भागों को संशोधित करके एक ही जिल्द में छपाने का था, किन्तु काग़ज़ छपाई की मँहगाई के कारण नहीं छपाया जा सका है। स्वजाति के नेताओं, शुभ चिन्तकों, पाँचों वीरों आदि के जीवन चरित्र व फ़ोटो तथा स्वजाति सभाओंके परिचय को बताने के लिये लगभग ३०० पृष्ठ की अन्य पुस्तक और तैयार की जा रही है। इन दोनों पुस्तकोंके इच्छुक बन्धु अपना नाम पूरे पते सहित अभी से लिखा दें ताकि इनके छपते ही सेवा में भिजवा दिया जावे।

इस निवेदन के साथ मेरा यह हार्दिक कामना है कि आप लोग अब शीघ्र सचेत होकर आगे बढ़ें और अपने खोये हुए समानाधिकारों को पुनः प्राप्त करें।

आपका सेवक :—

ह० ठा० दुर्गादत्तसिंह कुशन बिजनौरी

पता हाल—नूरपुर ज़िला बिजनौर (यू० पी०)

स्थायी पता—स्टेशन रोड, ज़नाने अस्पताल के पास नई बस्ती, बिजनौर (यू० पी०)

ता० ९ अगस्त सन् १९२७ ई० को हुई
अखिल भारतवर्षीय कश्यप राजपूत महासभा की रजिस्ट्री के
रजिस्ट्री सार्टीफिकेट की नक़ल

Certificate of Registration of Societies.

Act XXI of 1860.

I hereby certify that the All India Kashyap Rajput Maha Sabha Lahore has this day been registered under the provisions of the Societies Registration Act. XXI of 1860.

Given under my hand at Simla this 9th day of August, one thousand nine hundred and twenty seven (1927). Fee Rs. 50/-

(Sd.) R. C. RAWLLEY
Registrar
Joint Stock Companies

Attested.

Round Seal
of office.
9 August 1927.

(Sd.) Illegible
Registrar
Joint Companies, Punjab.